<u>संलग्नक–1</u>

कार्यालय मुख्य कार्यकारी अधिकारी, स्टेट लेविल नोडल एजेन्सी
परती भूमि विकास विभाग,उत्तर प्रदेश
एल्डिको कॉरपोरेट टॉवर, आठवा तल ,प्लाट न0–टी0सी0–13/वी–16, पावर हाऊस (पूर्वी हिस्सा), विभूति खण्ड, गोमती नगर लखनऊ

विज्ञापन संख्या– 34/85–परती/2014/8(14)EOI लखनऊ दिनांक 16 जुलाई 2014

उत्तर प्रदेश में संचालित समेकित वाटरशेड प्रबन्धन कार्यक्रम (IWMP) परियोजनाओं के लिये स्टेट लेवल डाटा सेल (SLDC), वाटरशेड सेल कम डाटा सेंटर (WCDC) एवं वाटरशेड डेवलपमेंट टीम (WDT)पदों हेतु निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं अनुभवी <u>कार्मिकों की आपूर्ति हेतु सामान्य निर्देश एंव शर्तेः–</u>

1. निविदा फार्म (Bid Document) का विक्रय मूल्य ₹ 10,000/– (₹ दस हजार मात्र) होगा, जिसे निविदा प्रकाशन की तिथि से दिनांक 5 अगस्त, 2014 तक, पूर्वान्ह 11 बजे से अपराह्न 4 बजे के मध्य, किसी भी कार्य दिवस में, ₹ 10,000/– (₹ दस हजार मात्र) का डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक, जो कि किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, स्टेट लेवल नोडल एजेंसी के पक्ष में निर्गत किया गया हो तथा जिसका भुगतान लखनऊ में देय होगा, को जमा कराकर प्राप्त किया जा सकता है। यदि निविदा फार्म (Bid Document) विभागीय वेबसाइट से डाउनलोड किया जाता है, तो प्रस्ताव जमा करते समय ₹ 10,000/– (₹ दस हजार मात्र) की धनराशि का बैकर्स चेक या बैंक ड्राफ्ट अथवा बैकर्स चेक के माध्यम से निविदादाता द्वारा जमा करना होगा। यह बैक ड्राफ्ट/बैकर्स चेक,मुख्य कार्यकारी अधिकारी, स्टेट लेबिल नोडल एजेन्सी के नाम होना चाहिये । जिसका भुगतान लखनऊ में देय होना चाहिये।
2. निविदादात के प्रस्ताव के साथ ₹ **2.00** लाख (₹ दो लाख मात्र) धरोहर की धनराशि Earnest Money Deposit (EMD) का बैंक ड्राफ्ट, जो कि किसी भी राष्ट्रीकृत बैंक से निर्गत होगा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एसएलएनए, एल्डिको कॉरपोरेट टॉवर,आठवा तल, प्लाट न0 –टी0सी0 –13/वी–16, पावर हाऊस (पूर्वी हिस्सा), विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ के पक्ष में, जिसका भुगतान लखनऊ में देय होगा, संलग्न किया जाना आवश्यक है। निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् 03 माह के अंदर असफल निविदादाता की धरोहर धनराशि (EMD), बिना ब्याज के वापस कर दी जायेगी, जबकि सफल निविदादाता की धरोहर धनराशि (EMD) को उसके द्वारा सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करने के 07 दिन के अन्दर वापस कर दिया जायेगा।
3. निविदादाता कों कम्पनी अधिनीयम 1956 के तहत पंजीकृत कम्पनी होना चाहिये।
4. निविदादाता को मैनपावर आपूर्ति किये जाने का गत तीन वित्तिय वर्ष (वित्तिय वर्ष 2011–12, 2012–13 एवं 2013–14) में, प्रत्येक वर्ष में, टर्न–ओवर ₹1.00 करोड का होना चाहिये।

5. निविदादाता द्वारा गत तीन वित्तिय वर्ष (वित्तिय वर्ष 2011–12, 2012–13 एवं 2013–14) की ऑडिटेड बैलेंस शीट, एकाउन्ट का ऑडिटेड स्टेटमेंट एवं इन्कम टैक्स रिटर्न दाखिल किये जाने के अभिलेख तकनीकी बिड के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक हैं।
6. निविदादाता को, उत्तर प्रदेश शासन/भारत सरकार के शासकीय विभागों/उपक्रमों में गत तीन वित्तीय वर्षों (वित्तिय वर्ष 2011–12, 2012–13 एवं 2013–14) में सेवा–प्रदाता (Service Provider) के रूप में कार्य करने का अनुभव होना चाहिये। इसके साक्ष्य में निविदादाता को, सम्बन्धित विभाग द्वारा निर्गत संतोषजनक कार्य किये जाने का प्रमाण–पत्र को तकनीकी बिड के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है।
7. निविदा प्रपत्र के किसी भी शर्त अथवा सभी शर्तों में राज्य सरकार द्वारा निविदा प्रपत्र जमा होने की अंतिम तिथी के पूर्व किसी भी समय संशोंधन किया जा सकता है। संशोधन करने के पश्चचात सभी निविदादाताओं को निविदादाता प्रपत्र जमा करने हेतु समान अवसर प्रदान करने के लिये सूचना दी जायेगी। यदि आवश्यक हुआ तो निविदा प्रपत्र जमा करने की अन्तिम तिथी को बढ़ाया भी जा सकता है।
8. इच्छुक निविदादाता टेक्निकल बिड (Technical Bid) एवं फाइनेंशियल बिड (Financial Bid) अलग–अलग लिफाफों में सीलबंद करके सम्बन्धित लिफाफे पर टेक्निकल बिड एवं फाइनेंशियल बिड अंकित करेंगे, तत्पश्चात् टेक्निकल बिड एवं फाइनेंशियल बिड के लिफाफों को एक बड़ें लिफाफे में सीलबंद करके '' **आईडब्ल्यूएमपी परियोजनाओं हेतु मैनपॉवर उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में ईओआई** '' अनिवार्य रूप से अंकित किया जायेगा। सर्वप्रथम तकनीकी प्रस्ताव (Technical Bid) खोले जायेंगे तथा टेक्निकल रूप से अर्ह/समस्त शर्तों को पूर्ण करने वाले निविदादाता के ही वित्तीय प्रस्तावों(Financial Bid) को खोला जायेगा, अन्य के नहीं।
9. इच्छुक निविदादाता द्वारा टेक्निकल बिड (Technical Bid) के साथ समस्त आवश्यक अभिलेखों के संलग्नकों की छायाप्रतियां, अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा प्रमाणित होनी चाहिये। अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा संलग्न किये जाने वाले अभिलेखों के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर किया जायेगा। अभिलेखों के प्रत्येक पृष्ठ पर सीरियल नंबर डालते हुये, हार्ड बाउण्ड (Hard Bound) किया जायेगा तथा संलग्न किये जाने वाले समस्त अभिलेखों को क्रमबद्ध ढ़ंग से रखकर इसकी अनुक्रमणिका (Indexing) सबसे ऊपर लगायी जायेगी।
10. अधूरे/अस्पष्ट/सशर्त प्रस्तावों को तथा ऐसे प्रस्तावों जोकि निर्दिष्ट अन्तिम तिथि/समय के पश्चात् प्राप्त होते हैं अथवा ऐसे प्रस्ताव जो कि निर्दिष्ट आवश्यकताओं को पूर्ण नहीं करते हों, को अस्वीकृत/निरस्त कर दिया जायेगा।
11. एक अथवा समस्त प्रस्तावों को बिना कारण बताये अस्वीकृत/निरस्त करने का अधिकार राज्य सरकार में निहित/सुरक्षित है।
12. निविदा दिनांक 06 अगस्त 2014 तक मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एसएलएनए, एल्डिको कॉरपोरेट टॉवर, आठवॉ तल प्लाट न0 –टी0सी0 –13/वी–16, पावर हाऊस(पूर्वी हिस्सा) ,विभूति खण्ड, गोमती नगर लखनऊ में सांय 5:00 बजे तक प्रशासनिक अधिकारी को उपलब्ध कराने होंगे।

13. इच्छुक निविदादाता को सेवा प्रदाता के रूप में ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 के तहत श्रम विभाग में पंजीकृत होना चाहिये एंव सेवा प्रदाता के पास आई.एस.ओ. 9000 का प्रमाण पत्र होना चाहिये।
14. चयनित निविदादाता (जिसे एतद्पश्चात्''सेवा प्रदाता''भी कहा गया है) की सेवायें अनुबन्ध की तिथि से एक वर्ष के लिये प्राप्त किया जायेगा। अनुबन्ध के पश्चात् चयनित सेवा प्रदाता द्वारा मैनपावर उपलब्ध कराया जायेगा।
15. राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी के द्वारा निर्गत आपूर्ति आदेश में उल्लिखीत अवधि के भीतर स्टेट लेबल डाटा सेल (SLDC),वाटरशेड कम डाटा सेन्टर (WCDC) एंव वाटरशेड डेवलपमेन्ट टीम (WDT) हेतु संलग्नक–2 में उल्लिखीत पदों की संख्या को घटाने बढ़ाने का अधिकार राज्स सरकार में निहित है।
16. एसएलडीसी,डब्ल्यूसीडीसी एंव डब्ल्यूडीटी के लियें समेकित रूप से एक सेवा प्रदाता का चयन किया जायेगा।
17. चयनित सेवा प्रदाता द्वारा समय से कार्मिक उपलब्ध न कराने अथवा अनुबन्ध में दिये गयें शर्तो का उल्लंघन करने पर सेवा प्रदाता की सेवा एक महीने की नोटिस देकर समाप्त कर दी जायेगी। शासकीय कार्य में बाधा एंव क्षतिपूर्ति चयनित सेवा प्रदाता द्वारा जमा की गयी जमानत की धनराशि से की जायेगीं। यदि क्षति की प्रतिपूर्ति जमानत की धनराशि (security deposite) से नहीं हों सकती तो शेष धनराशि की वसूलीं भू–राजस्व की भॉति की जायेगी।
18. चयनित सेवा प्रदाता द्वारा संविदा धनराशि (एक वर्ष के कुल प्रतिफल) के 10 प्रतिशत के बराबर की धनराशि की जमानत धनराशि (Security Deposit) बैंक गारण्टी के रूप में अनुबन्ध निष्पादित करने के 05 दिन पूर्व, देनी होगी। बैंक गारण्टी (Bank Garuntee) राष्ट्रीयकृत बैंक की होगी एवं अनुबन्ध की अवधि से 06 (छह) माह से अधिक अवधि तक वैध होगी।
19. राज्य सरकार द्वारा चयनित सेवा प्रदाता की जिस दर को स्वीकार किया जायेगा, अनुबन्ध की अवधि तक उसी दर से सेवा प्रदाता को भुगतान किया जायेगा।
20. भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा आईडब्ल्यूएमपी योजना के सुसंगत प्रावधानों में यदि कोई संशोधन/परिवर्तन किया जाता है तो वह चयनित सेवा प्रदाता को मान्य होगा।
21. एसएलडीसी/डब्ल्यूसीडीसी एवं डब्ल्यूडीटी के विभिन्न पदों हेतु निर्धारित मानदेय ही कार्मिकों को देय होगा, जिसमें सर्विस टैक्स और सर्विस चार्ज आदि सम्मिलित हैं।
22. सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध कराये गये कार्मिक एसएलडीसी/डब्ल्यूसीडीसी एवं प्रोजेक्ट इम्प्लीमेशन एजेंसी के अधीन कार्य करेंगे तथा वर्क–आउटपुट के आधार पर एसएलडीसी स्तर पर, डब्ल्यूसीडीसी स्तर पर तथा पीआईए स्तर पर कार्मिकों के मानदेय का भुगतान के सम्बन्ध में तिथियों का निम्न कलेन्डर अपनाया जायेगा, यदि किसी नियत तिथि पर राजकीय अवकाश पड़ता है, तो अगले कार्यदिवस पर संबंधित कार्य किया जायेगा–

(i) **<u>माह का प्रथम तिथि–</u>** सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध कराये गये कार्मिकों की उपस्थिति का सत्यापन/प्रमाणन ***एसएलडीसी स्तर पर*** प्रशासनिक अधिकारी (एसएलडीसी)द्वारा, ***डब्ल्यूसीडीसी स्तर पर*** सम्बन्धित प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा तथा ***पीआईए स्तर पर*** सम्बन्धित भूमि संरक्षण अधिकारी द्वारा करके सेवा प्रदाता को उपलब्ध कराया जायेगा।

(ii) <u>**माह की तीसरी तिथि –**</u> सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध कराये गये कार्मिकों के मानदेय का बिल क्रमशः एसएलडीसी के प्रशासनिक अधिकारी/सम्बन्धित प्रोजेक्ट मैनेजर या सम्बन्धित भूमि संरक्षण अधिकारी जैसी स्थिति हो,कराया जायेगा।

(iii) <u>**माह की 5वी तिथि–**</u> एसएलडीसी के प्रशासनिक अधिकारी/सम्बन्धित प्रोजेक्ट मैनेजर/सम्बन्धित बीएसए जैसी स्थिति हो द्वारा सेवा प्रदाता को उपलब्ध कराये गये बिल के सापेक्ष धनराशि का भुगतान नियमानुसार एकाउन्ट पेयी चेक के माध्यम से सेवा प्रदाता को किया जायेगा।

(iv) <u>**माह की 10वीं तिथि–**</u> सेवा प्रदता द्वारा प्रत्येक स्तर के कार्मिकों को देय मानदेय की धनराशि सम्बन्धित कार्मिक के खाते में चेक अथवा बैंक खाते (कोर बैंकिंग) के माध्यम से प्रत्येक माह की 10वीं तिथि को ट्रान्सफर कर दी जायेगी।

23. सेवा प्रदाता को विलम्ब से भुगतान किये जाने की स्थिति में राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी/एसएलडीसी/डब्ल्यूसीडीसी/पीआइए द्वारा कोई ब्याज अथवा क्षति का भुगतान चयनित सेवा प्रदाता को नहीं किया जायेगा।
24. सेवा प्रदाता द्वारा कार्मिकों सें नियमानुसार देय करों की कटौती को छोड़कर अन्य कोई कटौती नहीं की जायेगी। चयनित सेवा प्रदाता/प्रदाताओं की जिम्मेदारी होगी कि वह अपने स्तर से नियमानुसार सुसंगत अधिनियमों के अन्तर्गत समस्त प्रकार के देयों/करों का भुगतान करेगा।
25. चयनित सेवा प्रदाता द्वारा कार्मिकों के चयन हेतु किसी प्रकार का शुल्क कार्मिक से नहीं लिया जायेगा।
26. सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध कराये गये कार्मिक, सेवा प्रदाता के ही कार्मिक होंगे तथा राज्य सरकार के कर्मचारी नहीं माने जायेंगे। सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध कराये गये कार्मिकों के प्रति भारत सरकार/उत्तर प्रदेश सरकार व राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी अथवा उनके किसी भी अधिकारी की किसी प्रकार की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। कार्मिकों को राज्य सरकार की कोई सुविधा प्राप्त नहीं होगी। सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध कराये गये कार्मिकों के कार्य संतोषजनक न होने की स्थिति में, अपेक्षित कार्य क्षमता न होने पर तथा कार्मिक द्वारा बीच अवधि में ही कार्य छोडकर चले जाने की स्थिति में उसके प्रतिस्थानी को तत्काल उपलब्ध कराने का दायित्व सेवा प्रदाता का ही होगा। सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध कराये गये कार्मिकों द्वारा यदि कोई वाद रिट मा0 उच्च न्यायालय/अन्य न्यायालय में योजित होता है, तो उसका पूर्ण उत्तरदायित्व सेवा प्रदाता का ही होगा, उसके लिये राज्य सरकार जिम्मेदार नहीं होगी।
27. किसी भी प्रकार का वाद होने पर न्यायिक क्षेत्र, लखनऊ होगा।
28. राज्य सरकार एंव चयनित सेवा प्रदाता के मध्य होने वाले अनुबन्ध के सम्बन्ध में अथवाा अनुबन्ध की शर्तो सें उदित विवाद का निस्तारण एकल मध्यस्थ (Sole Arbitrator),जो प्रमुख सचिव,परती भूमि विकास विभाग,उ0प्र0 सरकार होगें के द्वारा किया जायेगा। मध्यस्थता का स्थल जनपद लखनऊ होगा। इस सम्बन्ध में आर्बीट्रेशन एण्ड कैन्सीलिएशन एक्ट,1996 के प्रावधान लागू होगें।

29. चयनित सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध कराये गये मैनपावर के अभिलेखों/अनुभव आदि का परीक्षण राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी स्तर पर गठित समिति द्वारा किया जायेगा। समिति की सहमति पर ही चयनित सेवा प्रदाता द्वारा मैनपावर उपलब्ध कराया जायेगा।
30. चयनित सेवा प्रदाता द्वारा जिन कार्मिकों की सेवायें उपलब्ध कराई जायेंगी, उनकी शैक्षिक, टेक्निकल योग्यता, कार्य का अनुभव, चरित्र, जाति आदि के प्रमाण–पत्र की प्रतियाँ राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी को उपलब्ध कराई जायेंगी। यदि जाँच में कार्मिकों के प्रमाण पत्र पूर्ण नहीं पाये गये तो कार्मिकों को वापस कर दिया जायेगा। इसी प्रकार यदि पद उपलब्ध नहीं होगा तो कार्मिकों को वापस कर दिया जायेगा।
31. चयनित सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध पदों की संख्या के डेढ़ गुना कर्मचारियों की सूची राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी को उपलब्ध कराई जायेगी।
32. चयनित सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध कराये गये कार्मिकों को राजकीय अवकाश अनुमन्य होंगे।
33. टेक्निकल एक्सपर्ट एवं अन्य कार्मिकों के चयन में सेवा प्रदाता द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई जायेगी उसका व्यय भार चयनित सेवा प्रदाता द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा।
34. चयनित सेवा प्रदाता एवं राज्य सरकार के मध्य किये गये अनुबन्ध को एक माह की नोटिस देकर राज्य सरकार द्वारा समाप्त किया जा सकेगा।
35. चयनित सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध कराये गये कार्मिकों को उत्तर प्रदेश सरकार अथवा केन्द्र सरकार में राजकीय सेवा माँगने का अधिकारी नहीं होगा। कार्मिकों को स्वीकृत पदों पर कार्य करने हेतु रखा जायेगा जो किसी भी समय बिना कारण बताये समाप्त की जा सकती हैं। स्वीकृत पदों की समाप्ति के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।
36. चयनित सेवा प्रदाता द्वारा एसएलडीसी, डब्ल्यूसीडीसी एंव डब्ल्यूडीटी में सेवा हेतु उपलब्ध कराये गये किसी भी कार्मिक को राज्य सरकार की सहमति के बिना हटाया/स्थानान्तरित नहीं किया जायेगा।
37. चयनित सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध कराये गये कार्मिकों की उपस्थित का विवरण भुगतान हेतु बिल, भुगतान सम्बन्धी प्रक्रिया, सर्विस चार्ज, सर्विस टैक्स तथा आयकर आदि की वैधानिक कटौती आदि की समीक्षा राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी तथा चयनित सेवा प्रदाता की उपस्थिती में प्रत्येक तीन माह में एक बार की जायेगी तथा समीक्षा में लिये गये निर्णय का पालन चयनित सेवा प्रदाता द्वारा किया जायेगा।
38. एसएलडीसी एंव डब्ल्यूसीडीसी में तकनीकी विशेषज्ञों की नियुक्ति सरकारी विभागों से प्रतिनियुक्ति पर/सेवानिवृत्त कर्मचारियों को लेने के लिये राज्य सरकार स्वतंत्र होगी। इस सम्बन्ध में, सेवा प्रदाता/प्रदाताओं द्वारा, किसी प्रकार की आपत्ति एवं दावा मान्य नहीं होगा।
39. शासनादेश संख्या–202/54–1–12/(15)/2010 दिनांक 02.05.2012 एवं यथासंशोधित शासनादेश संख्या–827/54–1–12/1(5)/2010 दिनांक 12.11.2012 द्वारा यह निर्देशित किया गया है कि पीआईए के पास उपलब्ध परियोजना में कम से कम दो परियोजनाओं के मध्य एक डब्ल्यूडीटी के बहुआयामी तकनीकी योग्यता वाले कम से कम चार सदस्यों की

टीम का गठन किया जाये, जिसमें से एक महिला सदस्य होगी। चयनित सेवा प्रदाता कों उक्त शासनादेश का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

40. तकनीकी बिड से सम्बन्धित लिफाफे में निविदादाता का मेमोरेन्डम ऑफ एसोशिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोशिएशन, सर्टिफिकेट ऑफ कारपोरेशन, कम्पनी द्वारा पारित संकल्प EMD से सम्बन्धित बैंकर्स चेक/बैंक ड्राफ्ट,निविदा प्रपत्र के इस संलग्नक–1 के प्रस्तर 01 से सम्बन्धित बैकर्स चेक/बैंक ड्राफ्ट एंव निविदा इस संलग्नक–1 के प्रपत्र के प्रस्तर 04,05,06 एंव 13 सें सम्बन्धित प्रमाण पत्र रखा जाना आवश्यक है। इस शर्त का अनुपालन ना कियें जाने की स्थिती मे निविदादाता की निविदा निरस्त कर दिया जायेगा।
41. एसएलडीसी, डब्ल्यूसीडीसी एंव पीआईए स्तर पर गठित डब्ल्यूडीटी हेतु स्वीकृत पदों के लिये चयनित सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध करायें गये कार्मिकों द्वारा, Common Guidelines for watershed development projects & 2008 (Revise edition 2011) के ''भाव एंव शब्दों'' के अनुसार कार्य किया जायेगा। उक्त गाईडलाइन की प्रति संलग्न है।
42. निविदादाता को राज्य सरकार,भारत सरकार या किसी निकाय के द्वारा ब्लैक लिस्ट नहीं किया गया है एंव निविदादाता के विरूद्ध किसी न्यायालय में कोई अपराधिकवाद नही चल रहा है, के सम्बन्ध में निविदादाता को टेक्निीकल बिड के साथ एक शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।